

**मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना-2**

का० आ० सं०- 01/रू०(स्था०)03-41/2017 04 / पटना, दिनांक:- 15/01/2026

-: आदेश :-

वित्त विभागीय पत्रांक-4685 दिनांक-25.06.2003 से निर्गत सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2003, वित्त विभाग का संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजन नियमावली 2010, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-10543 दिनांक-06.10.2025, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4862 दिनांक-29.04.2025, वित्त विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०-4058 दिनांक-28.07.2005 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1720 दिनांक-19.02.2014 तथा बिहार सरकार द्वारा इससे संबंधित अन्य पत्र/परिपत्र के आलोक में परिक्षेत्राधीन वर्ग-03 (लिपिकीय संवर्ग) के कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों जो ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० नियमावली के तहत निर्धारित शर्तों को पुरा करते हैं का प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में दिनांक-06.12.2025 को स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहूत की गई। स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में वर्ग-03 (लिपिकीय संवर्ग) के निम्नांकित कर्मियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय उन्नयन उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5, 6 एवं 7 में अंकित तिथि वेतनमान/ग्रेड-पे/वेतन लेवल की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	सेवा में योगदान की तिथि	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के अन्तर्गत वेतनमान/ग्रेड पे/लेवल एवं तिथि			अभ्युक्ति
				प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	तृतीय ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7	8
लिपिकीय संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना)							
1	श्री नितेश कुमार ठाकुर, उच्चवर्गीय लिपिक, शोध एवं प्रशिक्षण अंचल, खगौल, पटना।	10.09.2002	01.03.1978 28.02.2038	दि०-10.09.2012 के प्रभाव से ए०सी०पी० 5200-20200 ग्रेड पे-2000 में संशोधित।	दि०-10.09.2022 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-4 में देय।	-	
2	श्री बबन प्रसाद सिंह, प्रधान लिपिक, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-1, खगौल, पटना।	02.09.1978 (पूर्वाहन)	02.09.1959 30.09.2019	-	दि०-02.09.2002 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-01.01.2009 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	
3	श्री नन्द कुमार सिंह प्रधान लिपिक, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-3, खगौल, पटना।	22.11.1990	01.01.1971 31.12.2030	दि०-22.11.2002 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-22.11.2010 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	दि०-22.11.2020 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-8 में देय।	
4	श्री आशीष कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) अंचल, पटना।	27.08.2002	01.03.1978 28.02.2038	दि०-27.08.2012 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-2000 में संशोधित।	दि०-27.08.2022 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-4 में देय।	-	

क्र०	नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	सेवा में योगदान की तिथि	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के अन्तर्गत वेतनमान/ग्रेड पे/लेवल एवं तिथि			अम्बु
				प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	तृतीय ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	श्री हनुमान तिवारी, निम्नवर्गीय लिपिक, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, सिवान।	25.02.1993	19.06.1969 30.06.2029	—	—	दि०-25.02.2023 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-3 में देय।	
6	श्री नन्दकिशोर सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक, गुण नियंत्रण (सि० सृ०) प्रमंडल, डिहरी।	03.03.1992	29.07.1962 31.07.2022	दि०-03.03.2004 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-03.03.2012 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	दि०-03.03.2022 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-8 में देय।	
7	श्री अमूल्य कुमार श्रीवास्तव, पत्राचार लिपिक, गुण नियंत्रण (सि०सृ०) प्रमंडल, दरभंगा।	13.09.1983	06.01.1953 31.01.2013	दि०-09.08.1999 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-13.09.2007 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	—	
8	श्रीमती रम्भा दास, निम्नवर्गीय लिपिक, गुण नियंत्रण (सि०सृ०) प्रमंडल, दरभंगा।	24.09.2002	19.02.1963 28.02.2023	दि०-24.09.2012 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-2000 में संशोधित।	दि०-24.09.2022 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-4 में संशोधित।	—	
9	श्री सुरेन्द्र कुमार झा, उच्चवर्गीय लिपिक, गुण नियंत्रण (सि०सृ०) प्रमंडल, दरभंगा।	19.07.2002	01.01.1973 31.12.2032	दि०-19.07.2012 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-2000 में देय।	दि०-19.07.2022 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-4 में देय।	—	
10	श्रीमती चंदा कुमारी श्रीवास्तव, उच्चवर्गीय लिपिक, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, पटना।	09.04.2003	11.11.1979 30.11.2039	—	दि०-09.04.2023 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-4 में देय।	—	
11	श्री कुमार सौरभ, उच्चवर्गीय लिपिक, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, पटना।	13.09.2012	28.02.1983 28.02.2043	दि०-13.09.2022 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-3 में देय।	—	—	
12	श्री अजय कुमार सिन्हा, प्रधान लिपिक, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल-1, पटना।	30.10.1993	05.01.1967 31.01.2027	दि०-30.10.2005 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-30.10.2013 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	दि०-30.10.2023 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-8 में देय।	

क्र०	नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	सेवा में योगदान की तिथि	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के अन्तर्गत वेतनमान/ग्रेड पे/लेवल एवं तिथि			अभ्युक्ति
				प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	तृतीय ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	श्री सुनील कुमार, प्रधान लिपिक, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल-2, पटना।	28.02.1997	01.01.1967 31.12.2026	दि०-28.02. 2009 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200 में संशोधित।	दि०-28.02. 2017 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-7 में संशोधित।	-	
14	श्रीमती रेणु सिंह, उच्चवर्गीय लिपिक, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल-2, पटना।	10.01.2002	31.12.1996 31.12.2025	दि०-10.01. 2012 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-2000 में संशोधित।	दि०-10.01. 2022 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-4 में देय।	-	
15	श्री उपेन्द्र प्रसाद, उच्चवर्गीय लिपिक, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल-2, पटना।	13.03.2006	21.02.1980 29.02.2040	दि०-13.03. 2016 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-3 में देय।	-	-	
16	श्री मदन मोहन, प्रधान लिपिक, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल-3, पटना।	11.06.1993	05.11.1967 30.11.2027	दि०-11.06. 2005 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-11.06. 2013 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	दि०-11.06. 2023 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-8 में देय।	
17	श्री पवन कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल-3, पटना।	29.05.2013	07.01.1994 31.01.2054	दि०-29.05. 2023 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-3 में देय।	-	-	
18	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, उच्चवर्गीय लिपिक, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल-4, पटना।	14.11.1986	04.12.1959 31.12.2019	दि०-09.08. 1999 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-01.01. 2009 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	दि०-14.11. 2016 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-8 में देय।	
19	श्री सहजेन्द्र कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, पटना।	01.04.1997	01.10.1969 30.09.2029	दि०-01.04. 2009 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200 में देय।	दि०-01.04. 2017 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-7 में संशोधित।	-	मु०अ०, क०रू०, श्री० एवं मु०नि०, पटना के पत्राक-890 दिनांक- 05.09.2013 द्वारा प्रदत्त प्रथम एम०ए० सी०पी० रर।
20	श्री मनोज कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, पटना।	06.09.2012	09.06.1984 30.06.2044	दि०-06.09. 2022 के प्रभाव से ए०सी०पी० लेवल-3 में देय।	-	-	

नीति

My

क्र०	नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	सेवा में योगदान की तिथि	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के अन्तर्गत वेतनमान/ग्रेड पे/लेवल एवं तिथि			अम्बु
				प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	तृतीय ए०ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	श्रीमती सुनिता कुमारी, प्रधान लिपिक, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण प्रमंडल-4, अनिसाबाद, पटना।	25.10.1996	03.06.1976 30.06.2036	दि०-25.10. 2008 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200 में देय।	दि०-25.10. 2016 के प्रभाव से ए०ए०सी०पी० लेवल-7 में संशोधित।	—	मु०अ०, के०रू०, शो० एवं गु०नि०, पटना के आदेश ज्ञापक-58 दिनांक-17.01.2012 द्वारा प्रदत्त प्रथम ए०ए०सी०पी० रद्द।
22	श्री जितेन्द्र कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, नहर रूपांकण प्रमंडल-1, पटना।	07.06.2005	25.12.1980 31.12.2040	—	दि०-07.06. 2025 के प्रभाव से ए०ए०सी०पी० लेवल-5 में देय।	—	
23	श्री निर्मल कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, नहर रूपांकण प्रमंडल-1, पटना।	29.06.2005	20.05.1976 31.05.2036	—	दि०-29.06. 2025 के प्रभाव से ए०ए०सी०पी० लेवल-5 में देय।	—	
24	श्री मनीष कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, नहर रूपांकण प्रमंडल-2, पटना।	17.08.2004	28.02.1985 28.02.2045	—	दि०-17.08. 2024 के प्रभाव से ए०ए०सी०पी० लेवल-5 में देय।	—	
25	श्रीमती रीना, प्रधान लिपिक, नहर रूपांकण प्रमंडल-3, पटना।	03.05.1990	11.11.1963 30.11.2023	दि०-03.05. 2002 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-03.05. 2010 के प्रभाव से ए०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	दि०-03.05. 2020 के प्रभाव से ए०ए०सी०पी० लेवल-8 में देय।	
26	स्व० राज मोहन मिश्रा, पत्राचार लिपिक, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्र०-1, पटना।	03.03.1973	14.02.1952 23.11.2005	—	दि०-09.08. 1999 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	—	
27	श्री सत्यराज अरुण, निम्नवर्गीय लिपिक, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्र०-1, पटना।	07.12.2002	14.06.1982 30.06.2042	दि०-07.12. 2012 के प्रभाव से ए०ए०सी०पी० ग्रेड पे-1900 में संशोधित।	दि०-07.12. 2022 के प्रभाव से ए०ए०सी०पी० लेवल-3 में देय।	—	
28	श्रीमति सुधा देवी, प्रधान लिपिक, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमंडल-2, पटना।	03.05.1990	20.01.1970 31.01.2030	दि०-03.05. 2002 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-03.05. 2010 के प्रभाव से ए०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	दि०-03.05. 2020 के प्रभाव से ए०ए०सी०पी० लेवल-8 में देय।	

क्र०	नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	सेवा में योगदान की तिथि	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के अन्तर्गत वेतनमान/ग्रेड पे/लेवल एवं तिथि			अभ्युक्ति
				प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	तृतीय ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	श्री रामायण शरण यादव, पत्राचार लिपिक, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमंडल-3 पटना।	12.07.1982	15.04.1948 30.04.2008	दि०-09.08. 1999 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में देय।	दि०-12.07. 2006 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में देय।	—	
30	श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, प्रधान लिपिक, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्र०-04, अनिसाबाद, पटना।	27.02.1992	07.01.1973 31.01.2033	दि०-27.02. 2004 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-27.02. 2012 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	दि०-27.02. 2022 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० लेवल-8 में देय।	
31	स्व० जगत पासवान, प्रधान लिपिक, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्र०-04, अनिसाबाद, पटना।	17.12.1973	02.05.1954 31.05.2014	—	—	दि०-10.03. 2009 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में देय।	
32	श्री संजय कुमार, सहायक प्रशासी पदाधिकारी, गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) अंचल, पटना।	10.08.1988	01.06.1969 31.05.2029	दि०-10.08. 2000 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-01.01. 2009 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	दि०-10.08. 2018 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० लेवल-8 में देय।	
33	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, उच्चवर्गीय लिपिक, गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) अंचल, पटना।	14.07.1999	15.12.1967 31.12.2027	दि०-14.07. 2009 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-2800 में संशोधित।	दि०-14.07. 2019 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० लेवल-6 में देय।	—	
34	श्री पंकज कुमार झा, प्रधान लिपिक, गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण), प्रमंडल, समस्तीपुर।	03.05.1990	14.10.1970 31.10.2030	दि०-03.05. 2002 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-03.05. 2010 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	दि०-03.05. 2020 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० लेवल-8 में देय।	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा का पत्रांक- 1503 दिनांक- 03.05. 2002 से देय प्रथम MACP रद।
35	श्री संजय कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण), प्रमंडल, समस्तीपुर।	21.08.2004	05.11.1985 30.11.2025	दि०-21.08. 2014 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-2000 में देय।	दि०-21.08. 2024 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० लेवल-4 में देय।	—	

क्र०	नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	सेवा में योगदान की तिथि	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के अन्तर्गत वेतनमान/ग्रेड पे/लेवल एवं तिथि			अभ
				प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	तृतीय ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	श्री राकेश कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) प्रमंडल, पटना।	03.09.2008	02.01.1990 31.01.2050	दि०-03.09. 2018 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० लेवल-3 में संशोधित।	-	-	
37	श्रीमती धर्मशीला सहाय, प्रधान लिपिक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	03.05.1990	15.08.1967 31.08.2027	दि०-03.05. 2002 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-03.05. 2010 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	दि०-03.05. 2020 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० लेवल-8 में देय।	
38	श्री पंकज कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	21.02.2006	06.01.1977 31.01.2037	दि०-21.02. 2016 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-2000 में संशोधित।	-	-	
39	स्व० नरेन्द्र शर्मा, (मृत्यु की तिथि-10.09.2000), पत्राचार लिपिक, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-2, खगौल, पटना।	15.07.1982	06.08.1963 31.08.2023	दि०-09.08. 1999 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में देय।	-	-	
40	श्री रंजीत कुमार, टंकक (उच्चवर्गीय लिपिक), बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल-2, पटना	26.12.1995 PM	01.03.1997 28.02.2037	दि०-27.12. 2007 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200 में संशोधित।	दि०-27.12. 2015 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	-	
41	स्व० राणा जी सिंह, टंकक, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल-1, पटना।	01.07.1975	25.01.1953 31.01.2013	-	दि०-16.07. 2008 के प्रभाव से ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200 में संशोधित।	-	मु०अ०, क०रु०, शो० एवं मु०नि०, पटना के पत्रांक- 1009 दिनांक- 02.09.2014 द्वारा देय द्वितीय एवं तृतीय MACP र।
42	श्री रामप्रिय प्रसाद, टंकक (उच्चवर्गीय लिपिक), बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमंडल-3 पटना।	08.03.1991	01.07.1960 30.06.2020	दि०-08.03. 2003 के प्रभाव से ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 में संशोधित।	दि०-08.03. 2011 के प्रभाव से एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4600 में संशोधित।	-	

2. नियंत्रि पदाधिकारी संबंधित कर्मों को वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त में सेवा की टुट आदि की सम्यक जाँच कर लेंगे एवं जाँचोपरान्त यदि कोई प्रतिकूल तथ्य जो स्वीकृत लाभों को प्रभावित करता हो प्रकाश में आये तो उक्त के संबंध में अपेक्षित नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे।

अति

म

3. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप मौलिक नियमावली के नियम 22(1)ए(i) के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु संबंधित कर्मों द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे वित्तीय उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण करायेंगे अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से। उक्त विकल्प आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर अपेक्षित नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे।

4. जिन लिपिकों को द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिनांक-01.01.2006 से 31.12.2008 के बीच ए०सी०पी० नियमावली 2003 के आलोक में देय होता है उन्हें देय उन्नयन ग्रेड-पे 4600 में स्वीकृत किया गया है, उन्हें वित्त विभागीय पत्रांक-1720 दिनांक-19.02.2014 के आलोक में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से दिया जायेगा।

5. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उपरोक्त कर्मियों का वेतन निर्धारण सुनिश्चित वित्तीय योजना 2003 एवं रूपांतरित वित्तीय सुनिश्चित योजना 2010 तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं०-10543 दिनांक-06.10.2025 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2025 के सुसंगत प्रावधानों के तहत किया जायेगा।

6. उपरोक्त कर्मियों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने अथवा प्रतिकूल विभागीय आदेश प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित कर्मियों को प्रदत्त सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी०/रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन एम०ए०सी०पी०) का लाभ से संबंधित आदेश को संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान किये गये अधिकाई राशि/अन्तर राशि की वसूली कर ली जायेगी।

7. यह वित्तीय उन्नयन का लाभ व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

ज्ञापांक- 01/रू०(स्था०)03-41/2017 76 / पटना, दिनांक :- 15/01/2026
प्रतिलिपि- परिक्षेत्राधीन सभी अधीक्षण अभियंता/निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना/परिक्षेत्राधीन सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mm1004
15/01/2026

(महमूद आलम)
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक- 01/रू०(स्था०)03-41/2017 76 / पटना, दिनांक :- 15/01/2026
प्रतिलिपि- श्री सुशील कुमार मिश्र, उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mm1004
15/01/2026

मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक- 01/रू०(स्था०)03-41/2017 76 / पटना, दिनांक :- 15/01/2026
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय/Common integrated website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Mm1004
15/01/2026

मुख्य अभियंता।

Mm1004
15/01/2026

मुख्य अभियंता।

15/01/26